FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– **जगदीश बनाम ग्रा0पं0 मक्कासर आदि**

धारा :– 212 आर.टी.ए. मुकदमा नं0 267/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्रा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख से जारी हुआ
[illegible].11.017	यह अपील अपीलान्ट के अभिभापक द्वारा पेश कि गई। अपीलान्ट अभिभाषक के स्थनग प्रार्थना–पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई. अपील दर्ज रजिस्टर की जावे जावे। पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक नं0 5 के.एन.जे के प0न0 106/265 किला नं0 3/.240, 8/.250, 13/.250, 18/.250, 23/.250 कुल 1.240 हैक्टयर भमि में आगामी तारीख पेशी 21.12.2017 तक मोका एव रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रख। अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अप्रार्थीगण को जरियें रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 21.12.2017 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	
21.12.17	[illegible handwritten order] ... पत्रावली ... पेश हो। [signature]	
[illegible]	[illegible handwritten order] ... पत्रावली ... पेश हो। [signature]	[signature]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

14/1/18 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष
और पत्रावली आदेश आज
हेतु निर्णय नहीं लिखा जा
सका आदेश हेतु दि० 18/1/18
मुल्तवी, CA

18/1/18 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष
उपस्थित आज पत्रावली में निर्णय
अलग से लिखा जाकर घोषित
किया गया। पत्रावली
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो
CA

न्याया
ईजलास :–
करण संख्या :–
न्तर्गत धारा 75
जगदीश पुत्र

ग्राम पंचायत म
कर्मजीत कौर प

स्थित :–
1. श्री नरेश पा
2. श्री शिवराज
3. श्री खुशप्रीत

अपीलांट द्वा
नेकथनों के साथ
न. 3/0.253, 8/
31 कि.न. 13/0
ा का 1/5 हिस्स
ीलांट के पिता को
नुमाईशी बैयनाम
त्तसर जिला फरीद
ने का बैयनामा देबु
नपूत जाति का व्यि
राम पुत्र बींझाराम
न. 106/265 कि.न.
0 है0, मंजू पत्नि ब
म प.न. 106/265
ो है लेकिन रास्ता
रिवर्तन करवाकर इ
ने के बाद जरिये बै
ो0 सं. 1 द्वारा संप
।। जिससे व्यथित है
अपील प्रस्तुत है
ओर विद्वान अधिवक
।।

उभय पक्ष के अ
गत तथ्यों को दोहराते
विधि विरूद्ध व क्षेत्राधि
होकर अकृषि भूमि है
है। ग्राम पंचायत ने
ायत द्वारा आदेश पारि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलासा :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 287/2017

अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट

जगदीश पुत्र धर्मा राम जाति मेघवाल निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत मक्कासर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मक्कासर।
2. कर्मजीत कौर पत्नि लखासिंह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं. 592 ग्राम पंचायत मक्कासर

उपस्थित :–

1. श्री नरेश पारीक अधिवक्ता — अपीलार्थी
2. श्री शिवराज सिंह खोसा अधिवक्ता — रेस्पो0 सं. 1
3. श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता — रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक :– 12-11-18

अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंटस के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट के तहत इन अभिकथनों के साथ पेश की गई कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 5 केएनजे प.न. 106/265 मु.न. 24 कि.न. 3/0.253, 8/1/0.013, 8/2/0.240, 13/0.253, 18/0.253, 23/0.253, प.न. 109/266 मु न. 31 कि.न. 13/0.253, 18/0.253, 23/0.253 कुल 2.024 है0 कृषि भूमि थी जिसमे अपीलांट के पिता का 1/5 हिस्सा का हक व अधिकार था व है। दौलासिंह सिंह स्वर्ण जाति का व्यक्ति था जिसने अपीलांट के पिता को धोखा मे रखकर अपीलांट के पिता के हिस्सा की भूमि सहित 1.265 है0 भूमि का एक नुमाईशी वैयनामा कल्पित व्यक्ति गुरदेवसिंह पुत्र भोलासिंह कौम चमार साकिन मैहना तहसील मुक्तसर जिला फरीदकोट के नाम बिना कोई प्रतिफल के करवा लिया तत्पश्चात गुरदेवसिंह से उक्त भूमि का वैयनामा देवुराम पुत्र बींझा राम नाम करवाया जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति न होकर ओढ़ राजपूत जाति का व्यक्ति है। तत्पश्चात उक्त भूमि अपने नाम करवाने के उद्देश्य से दिखावटी वैयनामा देवूराम पुत्र बींझाराम के नाम प.न. 106/265 मु.न. 24 कि.न. 3/0.240 है0, शकुन्तला पत्नि भागीरथ प.न. 106/265 कि.न. 8/0.250 है0 गुलाबदेवी पत्नि सुखराम के नाम प.न. 106/265 कि.न. 13/0 250 है0, मंजू पत्नि बलवीर के नाम प.न. 106/265 कि.न. 18/0.250 है0 व गोपी पत्नि दलीप राम के नाम प.न. 106/265 कि.न. 23/0.250 है0 करवाये। उक्त भूमि मे आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है लेकिन रास्ता होने की गलत व्यानी करते हुए उपरोक्त कृषि भूमि को अकृषि कार्य के लिए संपरिवर्तन करवाकर इंतकाल इनके नाम दर्ज करवाया तथा कृषि भूमि से अकृषि भूमि मे संपरिवर्तन होने के बाद जरिये वैयनामा उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 के नाम खरीद की व उक्त खरीद के आधार पर रेस्पो0 स. 1 द्वारा संपरिवर्तन भूमि का अपीलाधीन इंतकाल सं. 592 रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को तलब किया गया। रेस्पो0 सं. 2 की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत मक्कासर द्वारा पारित इंतकाल कतई गलत व विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है। स्वीकारोक्त रूप से उक्त भूमि कृषि भूमि न होकर अकृषि भूमि है व अकृषि भूमि का नामान्तरण तस्दीक करने की ग्राम पंचायत को अधिकारिता नही है। ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक किया है। ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व पंचायत रजिस्टर मे प्रस्ताव लिया जाना व प्रस्ताव पर सरपंच व पंचो की सहमति होना आवश्यक है तथा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक नोटिस चस्पा

सहायक कलैक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

3

किया जाना आवश्यक था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल का आदेश पारित करने से पूर्व कोई प्रस्ताव नही लिया गया तथा न ही प्रस्ताव पर पंचो की सहमति ली गई है और न ही नोटिस बोर्ड पर कोई नोटिस चस्पा किया गया। अपीलाधीन इंतकाल सं0 592 को दर्ज करने की कार्यवाही छिपे तौर पर पटवारी हल्का एवं रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा मिलकर आनन फानन मे की गई तथा यह इंतकाल अथवा इंतकाल संबंधी कोई प्रस्ताव पंचायत के पटल पर कभी नही रखा गया तथा इंतकाल सं. 592 के कॉलम सं. 16 मे पटवारी हल्का द्वार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच पेश करने की इबारत दिनांक 15.03.2015 को दर्ज की गई है जबकि कॉलम सं. 14 मे जिन दस्तावेजात बैयनामा का विवरण दिया गया उनकी तारीख क्रमशः 02.03.2015, 12.03.2015 व 16.03.2015 दर्ज की गई जिससे स्पष्ट है कि यह इंतकाल मिलीभगत से पीछे की तारीख मे दर्ज किया गया है। यह उल्लेख करना सुसंगत है कि एक ही इंतकाल पुस्तक मे से इंतकाल सं. 291 तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 20.03.2015 को स्वीकृत किया गया तथा इसके पश्चात का चुनौतीधीन इंतकाल सं. 592 दिनांक 20.03.2015 को ही सरपंच ग्राम पंचायत मक्कासर द्वारा तस्दीक किया गया है। दोनो इंतकाल एक ही कार्य दिवस मे अलग अलग स्थानो पर तस्दीक होना इस समस्त कार्यवाही को सन्देहास्पद होना साबित करता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल सं. 592 ग्राम पंचायत मक्कासर अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने दौराने बहस अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं. 2 द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीद की गई है तथा अपीलांट द्वारा दर्ज कथन कि रेस्पो0 सं. 2 के ससुर ने अपीलांट के पिता को अपने सम्यक प्रभाव मे लेकर उक्त भूमि का बैनामी बैयनामा करवाने तथा उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाने के तथ्य गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। वर्तमान मे उक्त भूमि गैर मुमकिन आवासीय भूमि है जिस बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नही है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा रेस्पो0 सं. 2 के पक्ष मे जो अपीलाधीन इंतकाल दर्ज किया गया है वह पूर्ण रूप से विधि सम्मत है। रेस्पो0 सं. 2 द्वारा गैर मुमकिन आवासीय आराजी जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीद की गई है। अपीलांट का प्रश्नगत आराजी से कोई सरोकार नही है। मात्र रेस्पो0 सं. 1 औरतजात होने के कारण अपीलांट द्वारा बिना किसी कारण के तंग परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलार्थी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के नाम से दर्ज थी जो अलग अलग बैयनामे होने के उपरांत अन्तिम बैयनामा के आधार पर रेस्पो. सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल दर्ज किया गया उक्त इंतकाल विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है। जबकि रेस्पो0 सं. 2 का कथन है कि प्रश्नगत भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा रेस्पो. सं. 2 ने खरीद की है और उक्त अपीलाधीन इंतकाल विधिसम्मत किया गया है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल दर्ज करने से पूर्व पंचायत रजिस्टर मे प्रस्ताव लिया जाकर प्रस्ताव पर सरपंच व पंचो की सहमति ली जाकर तथा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक नोटिस चस्पा किया जाकर कोई आपत्ति नही होने के उपरांत नियमानुसार इंतकाल दर्ज किया जाना आपेक्षित था। परन्तु यहा तथ्य भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन आवासीय भूमि है जिसका नामान्तरण ग्राम पचायत द्वारा नही किया जा सकता है इसलिए उक्त अपीलाधीन इंतकाल क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए अपीलाधीन इंतकाल अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त निष्कर्ष के अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 592 दिनांक 20.03.2015 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण मे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किया जावें। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार हनुमानगढ़ को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 1/2/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner